राजस्थान राज–पत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित | Published by Authority
फाल्गुन 26, बुधवार, शाके 1937–मार्च 16, 2016
Phalguna 26, Wednesday, Saka 1937-March 16, 2016

सत्यमेव जयते

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 16, 2016

संख्या प. 2 (29) विधि/2/2014:–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 25 फरवरी, 2016 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015

(2016 का अधिनियम संख्यांक 2)

[राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 25 फरवरी, 2016 को प्राप्त हुई]

ऊंट के वध के प्रतिषेध हेतु उपबंध करने और उसके राजस्थान से अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.**- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएं.**- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "ऊंट का मांस" से ऊंट का मांस अभिप्रेत है;

(ख) "ऊंट" से ऊंटीय प्रजाति का कोई पशु अभिप्रेत है;

(ग) "संहिता" से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) अभिप्रेत है;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" से किसी जिले का कलक्टर अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत ऐसा कोई भी अन्य अधिकारी आता है जिसे राज्य सरकार के द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों और ऐसी कालावधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये;

(ङ) "खण्ड आयुक्त" से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 17 के अधीन राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त कोई आयुक्त अभिप्रेत है;

(च) "निर्यात" से राजस्थान राज्य से, राजस्थान राज्य के बाहर के किसी भी अन्य स्थान को ले जाया जाना अभिप्रेत है;

(छ) "दुर्भिक्ष और अभाव से ग्रस्त क्षेत्र" से दुर्भिक्ष या अभाव से ग्रस्त ऐसा कोई क्षेत्र अभिप्रेत होगा जिसके बारे में राज्य सरकार के द्वारा किसी समुचित विधि के अधीन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कोई घोषणा की गयी है;

(ज) "वध" से किसी भी ढंग से और चाहे किसी भी प्रयोजन के लिए, साशय मारना अभिप्रेत है;

(झ) "परिवाहक" से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत है,-

(क) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) में यथापरिभाषित किसी माल गाड़ी के मामले में,-

(i) स्वामी, यदि बुकिंग उसके अनुदेश के अधीन या उसकी जानकारी से की जाये;

(ii) यान का तत्समय प्रभारी व्यक्ति;

(iii) माल या पशुधन की बुकिंग का तत्समय प्रभारी व्यक्ति;

(iv) प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, महाप्रबंधक या मुख्य कार्यपालक या, यथास्थिति, कारबार का प्रभारी कोई भी अन्य व्यक्ति (जहां स्वामी कोई कम्पनी हो) जब बुकिंगें उसके अनुदेश के अधीन या उसकी जानकारी से की जायें;

(v) किसी भागीदारी फर्म के मामले में भागीदार, जब बुकिंग उसके अनुदेश के अधीन या उसकी जानकारी से की जाये;

(ख) रेल माल गाड़ी के मामले में,-

(i) किसी रेल स्टेशन पर माल और पशुधन की बुकिंग का तत्समय प्रभारी व्यक्ति; और/या

(ii) ऐसा व्यक्ति, जो किसी रेल स्टेशन पर रेल रसीदें तैयार करता है;

(ग) ऐसा परेषिती जिसे पशुधन परिदत्त किया जाना है; और

(घ) किसी भी अन्य मामले में, पशुधन का वहन करने वाला या उसके साथ जाने वाला व्यक्ति।

3. ऊंट के वध का प्रतिषेध.- तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी प्रथा या रूढि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, कोई भी व्यक्ति किसी भी ऊंट का वध नहीं करेगा या नहीं करवायेगा या उसे वध के लिए प्रस्थापित नहीं करेगा या नहीं करवायेगा।

4. ऊंट का मांस और ऊंट मांस के उत्पादों के कब्जे, विक्रय या परिवहन का प्रतिषेध.- तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कोई भी व्यक्ति ऊंट का मांस या किसी भी

रूप में ऊंट मांस के उत्पादों का कब्जा, विक्रय या विक्रय के लिए परिवहन नहीं करेगा या विक्रय या परिवहन नहीं करवायेगा।

5. वध के प्रयोजन के लिए ऊंट के निर्यात का प्रतिषेध और अन्य प्रयोजनों के लिए अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन.- (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी ऊंट, का स्वयं या अपने एजेंट, नौकर या अपने निमित्त कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति के जरिये, वध के प्रयोजनों के लिए या यह जानकारी होते हुए कि उसका वध किया जा सकता है या किया जाना संभाव्य है, राज्य के भीतर के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी स्थान को निर्यात नहीं करेगा और निर्यात नहीं करवायेगा।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राजस्थान के दुर्भिक्ष और अभाव से ग्रस्त क्षेत्रों से ऊंट का किसी विधिमान्य परमिट के अधीन चराई के प्रयोजनों के लिए भारत में के अन्य राज्यों में अस्थायी प्रव्रजन, विहित और इसमें आगे अधिकथित रीति से, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(3) किसी भी दुर्भिक्ष और अभाव से ग्रस्त क्षेत्र में निवास करने वाला और किसी ऊंट का प्रव्रजन चाहने वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसे क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले सक्षम प्राधिकारी को, ऊंटों की संख्या और उस राज्य या उन राज्यों के नाम, जिसमें या जिनमें प्रव्रजन प्रस्तावित है और ऐसी कालावधि, जिसके लिए परमिट अपेक्षित है, के सहित, प्रस्तावित प्रव्रजन के आवश्यक होने की परिस्थितियों का कथन करते हुए आवेदन करेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी, उप-धारा (3) में निर्दिष्ट आवेदक के अनुरोध की वास्तविकता के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात्, विहित प्ररूप में और रीति से उसे कोई परमिट मंजूर कर सकेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऊंट के राज्य से बाहर ऐसा अस्थायी प्रव्रजन अनुज्ञात किये जाने के पूर्व पहचान चिह्न लगाये जाने के लिए उपबंध किया जा सकेगा और किसी भी मामले में उक्त प्रव्रजन की कालावधि परमिट की मंजूरी की तारीख से ठीक अगले अगस्त मास से परे की नहीं होगी।

(5) ऐसे अस्थायी प्रव्रजन से लौटने पर उप-धारा (3) में निर्दिष्ट आवेदक सक्षम प्राधिकारी को अपने द्वारा वापस लाये गये ऊंटों की संख्या के बारे में लिखित सूचना, फेरफारों के, यदि कोई हों, स्पष्टीकरण के साथ, देगा।

(6) यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे ऊंट राज्य में, और परमिट में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर, वापस नहीं लाता है तो यह समझा जायेगा कि उसने उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

(7) सक्षम प्राधिकारी कृषिक या डेयरी उद्योग के प्रयोजनों के लिए या किसी पशु मेले में भाग लेने के लिए राजस्थान से ऊंट के निर्यात के लिए विहित रीति से विशेष परमिट जारी कर सकेगा और ऐसी अनुज्ञा मंजूर करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निर्यात से ऐसे ऊंटों की संख्या किसी भी रीति से स्थानीय क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकता के स्तर से कम न हो जाये।

(8) उप-धारा (4), उप-धारा (6) या उप-धारा (7) के अधीन किये गये सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित, उप-धारा (3) में निर्दिष्ट कोई भी आवेदक या उप-धारा (7) के अधीन विशेष परमिट चाहने वाला, कोई भी व्यक्ति आदेश की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर खण्ड आयुक्त को आवेदन कर सकेगा और खण्ड आयुक्त ऐसे आवेदन पर या स्वप्रेरणा से किसी भी आदेश के सही होने, उसकी वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मामले का अभिलेख मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह न्यायसंगत और उचित समझे और ऐसा आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा और किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

6. परिवाहक का दुष्प्रेरक होना.- जब कभी इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किये जाने के उद्देश्य को अग्रसर करने में परिवहन के किसी भी साधन से ऊंटों का परिवहन किया जाये तो परिवाहक उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा 3 के अधीन उपबंधित है।

7. अभिगृहीत ऊंट की अभिरक्षा और निपटारा.- (1) जब कभी तलाशी या अभिग्रहण के परिणामस्वरूप या निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा ऊंट अभिगृहीत किये जायें तो अभिगृहीत किये गये ऊंटों की अभिरक्षा, मामले का अंतिम निपटारा होने तक, सक्षम प्राधिकारी के आदेश से ऐसे पशुओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही किसी भी मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक एजेन्सी को सौंपी जा सकेगी:

परन्तु जहां किसी भी स्थानीय क्षेत्र में कोई भी ऐसी स्वैच्छिक एजेन्सी नहीं हो, वहां सक्षम प्राधिकारी ऊंटों की अभिरक्षा क्षेत्र के बाहर की किसी भी ऐसी एजेन्सी या किसी भी ऐसे अन्य उपयुक्त व्यक्ति को सौंप सकेगा जो ऐसे पशुओं को स्वेच्छा से रखना चाहे।

(2) जब कभी कोई मामला अंतिम रूप से निपटा दिया जाये तो ऊंटों की अभिरक्षा या स्थायी रूप से सौंपे जाने के बारे में आगे के आदेश सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जारी किये जायेंगे जो उचित समझी जायें।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उक्त आदेश की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर उसके विरुद्ध खण्ड आयुक्त को अपील कर सकेगा।

(4) ऐसी अपील पर खण्ड आयुक्त अपीलार्थी और सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील का निपटारा होने तक आदेश के रोक दिये जाने का निदेश दे सकेगा या आदेश को उपान्तरित, परिवर्तित या वातिल कर सकेगा और ऐसे कोई भी और आदेश कर सकेगा जो न्यायसंगत हों।

(5) जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई भी ऊंट अभिगृहीत किया जाये तो सक्षम प्राधिकारी या खण्ड आयुक्त को, ऐसे पशु के कब्जे, परिदान, निपटारे या छोड़े जाने के संबंध में आदेश करने की अधिकारिता होगी और तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, किसी भी अन्य न्यायालय, अधिकरण या अन्य पाधिकरण को अधिकारिता नहीं होगी।

8. शास्ति.- (1) जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता

है वह, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(2) जो कोई धारा 4 या धारा 5 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है वह, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

9. उपहति कारित करने के लिए दण्ड.- (1) जो कोई किसी भी ऊंट को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग-शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति कारित करता है।

(2) जो कोई किसी ऊंट को साशय उपहति कारित करता है वह, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(3) जो कोई उप-धारा (2) के अधीन किसी अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, वह उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध के लिए उपबंधित है।

10. किसी भी ऊंट को साशय क्षति पहुंचाने के लिए दण्ड.- (1) जो कोई किसी ऊंट को साशय गंभीर क्षतियां कारित करता है वह, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो सात हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए गंभीर क्षति के अन्तर्गत है-

(i) पुंसत्वहरण (नर ऊंट के मामले में),

(ii) किसी भी आँख को स्थायी रूप से दृष्टिहीन करना,

(iii) किसी भी कान को स्थायी रूप से श्रवण शक्तिहीन करना,

(iv) किसी भी अंग या जोड को अलग करना,

(v) किसी हड्डी या दांत का भंग या विस्थापन,

(vi) कोई भी ऐसी उपहति, जो जीवन को खतरे में डाले या जो उपहत को घोर शारीरिक कष्ट कारित करे और अन्ततः अनुपयुक्त या अनुपयोगी बना दे।

(2) जो कोई-धारा (1) के अधीन के किसी अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, वह उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध के लिए उपबंधित है।

11. सबूत का भार.- जहां किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन के किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाये वहां यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपराध नहीं किया था।

12. स्थानों में प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्ति.- (1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को (जिसे इस धारा में इसके आगे "प्राधिकृत व्यक्ति" कहा गया है) ऐसे किसी भी स्थान में प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने की शक्ति होगी जहां सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन का कोई अपराध किया गया है या किया जाना संभाव्य है।

(2) ऐसे स्थान का अधिभोगी प्रत्येक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति की उस स्थान में पहुंच को अनुज्ञात करेगा जो पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हो और सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा उससे पूछे गये किसी प्रश्न का उत्तर अपनी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार देगा।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तित कराने के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी स्थान में प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने में यावत्शक्य, किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी स्थान की तलाशी या निरीक्षण से संबंधित, संहिता की धारा 100 के उपबंधों का अनुसरण करेगा।

13. इस अधिनियम के अधीन की शक्तियों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का लोक सेवक समझा जाना.- इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले समस्त व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

14. सदभावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण.- किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जायेंगी, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन सदभावपूर्वक की जायें या की जाने के लिए आशयित हों।

15. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को साधारणतया कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे नियमों में से किसी भी नियम में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या वातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

ब्रजेश कुमार डांगरा,
प्रमुख शासन सचिव।